केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

Central Sanskrit University

शिक्षाशास्त्री (B.Ed.)

प्रवेश दिशा-निर्देशिका (2026-27)

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नव देहली

56–57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi – 110058

Email ID: admission.support@sanskrit.ac.in

दूरभाष : 011–28524993, 011–28524995, 011–28520977, 011–28525963, 011–28521994

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नवदेहली के 10 परिसरों हेतु शिक्षाशास्त्री (द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु पात्रता नियम :-

1- शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने शास्त्री/आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री संस्कृत ऐच्छिक विषय के साथ उत्तीर्ण की है। बी.ए. में संस्कृत विषय के बिना एम.ए. संस्कृत होने पर भी अभ्यर्थी शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की पात्रता रखता है, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत अतिरिक्त विषय लेकर तीन वर्षों की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की है वे शिक्षाशास्त्री में प्रवेश पाने की पात्रता नहीं रखते हैं। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों ने यदि आचार्य/स्नातकोत्तर संस्कृत कर लिया है तथा उसमें न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हैं तो वे इस पाठ्यक्रम की पात्रता रखते हैं।

2- विश्वविद्यालय परिसरों में जो विषय अभ्यास शिक्षण (Practice Teaching) विषयों में अंकित है उनके अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षण विषय लेने में असमर्थ हैं या स्नातक/स्नातकोत्तर में ऐच्छिक विषय नहीं है। उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

3- जो अभ्यर्थी CUET-PG 2026 के लिए आवेदन-प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि तक पात्रता शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरी नहीं करता है या काउंसलिंग की तिथि तक निर्धारित पात्रता-परीक्षा की मूल अंक तालिका या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

4- (अ) शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार किसी अभ्यर्थी ने ऐसे महाविद्यालय से इण्टरमीडिएट के बाद त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है जहाँ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं ली जाती है और इस परीक्षा के प्राप्तांक भी द्वितीय वर्ष की प्राप्तांक सूची में श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाते हैं ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं हैं।

(ब) ऑनर्स स्नातकों के लिए संस्कृत ऑनर्स विषय अथवा सहायक विषय के रूप में संस्कृत होने पर इसे स्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष पढ़ा हुआ तथा दोनों वर्ष परीक्षा देकर-उत्तीर्ण होने पर पात्र माना जायेगा, परन्तु संस्कृत को एक सहायक विषय के रूप में पढ़कर एक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्कृत का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

5- अधिसूचना संख्या 9-1/CSU/Dean/Acd./2022-23/108 दिनांक 21.04.2023 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रावधानों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

6- ऐसे आवेदक जिनमें शारीरिक दोष/अक्षमता (दिव्यांग) हो तो उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न हो जैसे-गूंगा होना/बोलने में असमर्थ होना/पूर्णरूप से बहरा होना/दोनों हाथों का नहीं होना-जिससे श्यामपट्ट कार्य करने में असमर्थ अभ्यर्थी/दोनों पैरों का नहीं होना-जिससे कक्षा में खड़े होने की स्थिति में न होने आदि दिव्यांग छात्र इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं है अतः ऐसे आवेदक प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं करें। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे।

7- भारत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम-2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही आवेदक दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा।

8- आवेदक को भारत का मूल निवासी (डोमेसाइल) होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो अधिकृत प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम) के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

9- भारत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र भारत सरकार के अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। उसमें राज्य के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण-पत्र में मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा पृथक् से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

10- अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो गयी है तो क्रीमीलेयर में नहीं होने के सम्बन्ध में नोटरी पब्लिक से प्रमाणित100 /- रुपये का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 01 माह के लिए छूट दी जा सकेगी। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) के लिए जारी प्रमाण पत्र भारत सरकार के नियमानुसार मान्य होगा। सत्र समाप्त होने पर उक्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

11- विधवा महिला को अपने पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ-पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा।

12- अभ्यर्थी के तलाक शुदा/परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री तथा पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।

13- भारत देश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य देशों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का आरक्षण देय नहीं होगा।

14- भूतपूर्व सैनिकों एवं रक्षा आश्रितों Defence :- Army, Navy, Airforce हेतु सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। B.S.F., C.R.P.F, सीमावर्ती बलों एवं अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण अंक तालिका

क्रमांक	**वर्ग**	**आरक्षण**
1-	अनु. जाति (SC)	15%
2-	अनु. जनजाति (ST)	7.5%
3-	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%
4-	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS)	10% (उप श्रेणी के अन्तर्गत/सुपरन्यूमेरेरी)
5-	दिव्यांग वर्ग के लिए (Including blind, deaf and/or dumb and orthopaedic)	3% (उप श्रेणी के अन्तर्गत)
6-	Window/Divorce Women's, Ex-Serviceman Defence	5% (उप श्रेणी के अन्तर्गत)
7-	Single Girl Child	01 (प्रति पाठ्यक्रम, प्रति यूनिट उप श्रेणी के अन्तर्गत)
8-	जम्मू परिसर में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के अभ्यर्थियों के लिए और अगरतला परिसर में उत्तर-पूर्वी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 10% का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण JKNER कोटा में अनुमोदित है। यह कोटा केवल इन्हीं दो चिन्हित परिसरों में लागू रहेगा।	

(अ) पात्रता :

शैक्षणिक योग्यता :

1- स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे।

स्नातक (B.A) **स्नातकोत्तर (M.A)**	**GEN/EWS**	**ST/SC**	**OBC**	**PWD/CW**	**Window/Divorce Women's**
प्राप्तांक प्रतिशत	50%	45%	45%	45%	45%

- वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। (उदाहरण के लिए- यदि किसी सामान्य एवं अन्य अभ्यर्थी के उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में क्रमशः 49.99 प्रतिशत 44.99 प्रतिशत अंक है तो वे अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन हेतु अयोग्य होंगे।) उक्त के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार शिथिलता दी जा सकेगी।

सामान्य निर्देश-

1- प्रथमतः अभ्यर्थी को CUETमें बैठने की अपनी पात्रता का निर्धारण स्वयं को करना है क्योंकि परीक्षा में बैठने के स्तर तक आवेदन-पत्रों की जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जानी आवश्यक नहीं है। परीक्षा में बैठने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की अपनी है जो उसे शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार उस दशा में नहीं देता है यदि बाद में यह पता लगे कि वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु या CUET में प्रवेश हेतु पात्रता ही नहीं रखता, क्योंकि CUET परीक्षा में बैठना अभ्यर्थी

का अपना जोखिम है। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा परिणाम भी दे दिया जाता है तो भी उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिल जाता यदि बाद में वह अपात्र सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

2- अभ्यर्थी को CUET के सामान्य निर्देशिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए तथा प्रवेश के समय उनकी पालना करनी आवश्यक है।

3- CUET परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्नकों (प्रमाण-पत्र/अंक सूची आदि) का मात्र उल्लेख करना और उन्हें अपलोड़ नहीं करना या आवेदन पत्र में गलत अथवा असत्य सूचना/तथ्य अंकित करना दुराचरण माना जायेगा और ऐसा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

4- CUET आवेदन शुल्क का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से नहीं है अतः किसी भी दशा में वापसी योग्य (Refundable) नहीं है। अतः निर्देशों के अन्तर्गत जो अभ्यर्थी पात्रता रखते हैं उन्हीं को शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

5- शास्त्री/आचार्य उपाधि से अभिप्राय इस विश्वविद्यालय की शास्त्री या आचार्य उपाधि या भारत सरकार के अन्तर्गत अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री/आचार्य उपाधि अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय के समकक्ष अन्य परीक्षा जो इस प्रयोजनार्थ मान्य हो।

6- CUET काउन्सलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी के द्वारा परिसर में रिपोर्टिंग एवं प्रवेश सुनिश्चित होने के पश्चात् अभ्यर्थियों के द्वारा पाठ्यक्रम को छोड़ने की स्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा जमा पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क यू.जी.सी. के नियमानुसार वापसी योग्य (Refundable) है।

7- CUET-PG 2026 शिक्षाशास्त्री (बी.एड.) प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के उपरान्त परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच कर ले कि उनके द्वारा प्रविष्ट सभी तथ्य/डाटा सही है अथवा नहीं।

8- CUET-PG 2026 में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क 500/- रुपये जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।

9- अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उप श्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर परिसर आवंटन होगा।
अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से परिसर चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (Choices) के रूप में 10 परिसर दिये गये हैं। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध परिसरों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। परिसर विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थियों को परिसर चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम (B.Ed.) संचालित परिसर :-

क्र.सं.	परिसर नाम	स्वीकृत यूनिट
1	श्री रणवीर परिसर, कोट भलवाल, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)-181122	02 Unit 100 Seats
2	श्री सदाशिव परिसर, पुरी, उडीसा-752001	02 Unit 100 Seats
3	गुरूवायूर परिसर, पुरनाटटुकरा, त्रिशूर, केरल-680551	01 Unit 50 Seats
4	जयपुर परिसर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर,राज.-302018	02 Unit 100 Seats
5	लखनऊ परिसर, विशाल खण्ड-4,गोमती नगर, लखनऊ,उ.प्र.-226010	01 Unit 50 Seats
6	राजीव गाँधी परिसर, मेनसे, भारती नगर पोस्ट, श्रृंगेरी, कर्नाटक-577139	01 Unit 50 Seats
7	वेदव्यास परिसर, बलाहर, कांगडा, हिमाचल प्रदेश-177108	01 Unit 50 Seats
8	भोपाल परिसर, संस्कृत मार्ग, बागसेवनिया, भोपाल, म.प्र.-462043	02 Unit 100 Seats
9	नासिक परिसर, ताटेकर शिक्षा संकुल, गरवारे स्टॉप, बाफना वेयरहाउस के पास, सैय्यद पिंपरी, नासिक, महाराष्ट्र-422003	01 Unit 50 Seats*
10	एकलव्य परिसर, अगरतला, गांव-सिपाई पारा, डाकघर-लेम्बुचेर्रा, जिला-पश्चिम त्रिपुरा, राज्य-त्रिपुरा-799210	01 Unit 50 Seats

*** नासिक परिसर में प्रवेश NCTE द्वारा स्थानान्तरण की अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रत्याशा के अधीन है।**

10- अपवर्ड मूवमेन्ट के अन्तर्गत ऑप्शन में भरा गया परिसर आवंटित नहीं होने पर जमा शुल्क 1000/-रुपये (Refundable) नहीं है।

11- रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा उपर्युक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई-मित्र के माध्यम जमा किया जा सकता है।

12- शिक्षाशास्त्री (B.Ed.) प्रवेश परीक्षा CUET-PG 2026 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दो चरणों में की जानी प्रस्तावित है। कुल सीट्स के 10 प्रतिशत से अधिक सीट्स रिक्त होने पर तृतीय चरण में भी काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जा सकेगा। तृतीय चरण काउंसलिंग पश्चात् आवश्यकता होने पर माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार Spot Admission किये जा सकेंगे। तृतीय चरण काउंसलिंग प्रक्रिया तक प्रत्येक चरण में अपवर्ड मूवमेन्ट द्वारा वरीयतानुसार अभ्यर्थियों के आवेदन अनुसार परिसर स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

13- ऑनलाइन काउन्सलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को दिशा निर्देशानुसार 500/-रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी CUET-PG 2026 के अपने मूल आवेदन-पत्र में दर्शाई गई केटेगरी (GEN, SC, ST, OBC, EWS etc.) तथा सब केटेगरी (Divorcee/PH/Defence etc.) की जाँच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जाँच कर लें। जाति प्रमाण-पत्र वैध एवं निर्धारित अवधि का होना चाहिए।

14- परिसरों के चयन हेतु विवरणिका के अनुसार केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली CUET-PG 2026 प्रवेश पोर्टल पर स्थित परिसरों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन परिसरों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक परिसरों का चयन करके ही लॉक करना उचित रहेगा। All Campus का चयन अति सावधानी से करें। परिसर चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः परिसर विकल्प का चयन नहीं होगा।

15- आवंटित परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) करवाना अनिवार्य है। इसके पश्चात ही ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण शुल्क जमा किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त अभ्यर्थी का अस्थायी प्रवेश सुनिश्चित होगा। निर्धारित तिथि तक मूल दस्तावेजों का सत्यापन न कराने अथवा शिक्षण शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

16- अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गये परिसर में निर्धारित शिक्षण शुल्क 7500/-(GEN/EWS/OBC), 7000/-(SC/ST/PWD/CW) फीस जमा होने और परिसर द्वारा प्रमाण पत्र सत्यापन (Verify) होने के उपरान्त ही Upward Movement कर सकता है। Upward Movement के लिए लिया गया शुल्क रिफन्ड नहीं होगा।

17- Upward Movement के उपरान्त नया परिसर आवंटित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी का पूर्व आवंटित परिसर (जिसमें रिपोर्टिंग की गई थी) ही सुरक्षित रहेगा। नया परिसर आवंटित होने पर अभ्यर्थी को वहां अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, परन्तु इसके लिए पुनः शिक्षण शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

18- प्रथम चरण Upward Movement के पश्चात् प्रथम काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग द्वितीय चरण Upward Movement में अवसर नहीं दिया जाएगा तथा द्वितीय चरण काउंसलिंग प्रक्रिया के छात्रों को द्वितीय चरण Upward Movement के पश्चात् तृतीय चरण Upward Movement प्रक्रिया में अवसर नहीं दिया जाएगा।

19- Upward Movement के तहत नूतन आवंटित परिसर में निर्धारित तिथि तक रिपोर्टिंग न करने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अतः समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करें।

20- प्रवेश होने जाने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तरण संभव नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी सम्बन्धित परिसर में प्रवेश लेने से पूर्व यह सुनिश्चित करें।

आवंटित परिसर में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में निर्देश :-

1- समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदित पत्र की **Hard Copy Download** करके प्रस्तुत करें।
2- **10** वीं अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
3- **12** वीं अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4- शास्त्री **B.A.,** आचार्य **M.A.** समकक्ष परीक्षा**,** अंक पत्र एवं उपाधि प्रमाण-पत्र।
5- प्रव्रजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेसन) मूल।
6- स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र **(T.C)** मूल।
7- चरित्र प्रमाण-पत्र **(C.C)** मूल।
8- अनुसूचित जाति **(SC),** अनुसूचित जनजाति**(S.T.),** अन्य पिछड़ा वर्ग**(OBC),** सामान्य जाति **(EWS)** दिव्यांग **(PH)** आदि मूल एवं छाया प्रति।
9- B.A शास्त्री **M.A.**आचार्य या अन्य शैक्षिणक उपाधियों में अन्तराल होने पर अन्तराल शपथ-पत्र या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो।
10- **Academic Bank Credit (ABC)** का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
11- प्रवेश के समय अन्य प्रमाण-पत्र जो उपलब्ध नहीं हैं**,** उन समस्त प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य है।
12- आंवटित परिसर से स्थानान्तरण न चाहने के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
13- क्रीडा सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
14- परिसर में अपूर्ण आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जायेगा।
भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता महिला/शारीरिक अक्षमता वाले अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

नोट :- उपर्युक्त निर्देशों में वर्णित समस्त प्रकार की शर्तों, अर्हताओं, योग्यताओं एवं नियमों का शासन द्वारा निर्धारित नियमों तथा विधि सम्मत प्रक्रिया/माननीय न्यायालय के आदिनांक निर्णयों से पूर्ण/आंशिक विभेद होने पर इन्हें अन्तिम नहीं माना जाएगा। विभिन्न तिथियों में माननीय निर्वाचन आयोग अथवा सार्वजनिक हित में शासन द्वारा निर्धारित अन्य कार्यक्रमों के अनुसार परिवर्तन सम्भव है तथा ऐसे किसी अपरिहार्य परिवर्तन/संशोधन/संवर्धन को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेंगी। ऐसी समस्त सूचनाएं हमारी उल्लेखित वेबसाईट पर अपडेट कर दी जायेगी।